[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]

कि जहां तक सम्भव है खर्चों को कम करने का प्रयास किया जाय ।

माननीय श्री गोयल ने पेंशनर्स का उल्लेख किया है—मैं उन की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि सरकार ने फैसला किया है कि पहली सितम्बर से 200 रु० तक पेंशन पाने वाले पेंशनर्स की पेंशन में 10 रु० महिने की बढ़ोतरी कर दी जाय ।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70 be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. SPEAKER: The questions is:

"That Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI JAGANNATH PAHADIA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted

13.17 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at seventeen minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI M. B. RANA *in the Chair*]

RE. INCIDENT IN U.P. LEGISLATIVE ASSEMBLY

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, एक बात की तरफ मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है । कल उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो संविधान की हत्या हुई है... (**व्यवधान**)...मेरी बात को आप सुन लीजिए.... (**व्यवधान**)

श्री शिव नारायण (बस्ती) : कहीं हत्या नहीं हुई है । (**व्यवधान**)....

श्री जार्ज फरनेन्डीज : कल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जब किसी एक प्रश्न पर मतदान का समय आया और उस प्रश्न पर जब डिवीजन की मांग हो गई तो कोरम की घंटी बजाई गई लेकिन अध्यक्ष ने जब यह देखा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन के अन्दर अल्पमत में हैं और सरकार अभी गिर रही है... (**व्यवधान**)....

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): When a serious constitutional point is being raised, why does the hon. member interrupt in this manner? Does he understand anything about this?

SHRI SHEO NARAIN: I have a right to raise a point of order.

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) : शिव नारायण जी, आप इनके बाद बोलिएगा ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं फिर ये क्यों बोल रहे हैं ?

SHRI SHEO NARAIN: On a point of order . . .

MR. CHAIRMAN: I shall hear the hon. Member Shri George Fernandes and then I shall hear Shri Sheo Narain.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय कल उत्तर प्रदेश की विधान सभा में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था जिसमें श्री चन्द्र भानु गुप्त की सरकार गिरने वाली थी और जब इस चीज को उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री खेर ने देखा तब उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने की जगह पर—जहां मतदान होना चाहिए था, मतदान की मांग हो चुकी थी—उन्होंने अपनी कुर्सी का त्याग किया और अन्दर जाकर अपने कमरे में बैठ गए । बाद में जब उस सदन के उपाध्यक्ष प्रो० वासदेव सिंह कुर्सी पर आकर बैठे... (**व्यवधान**)... और मतदान की प्रक्रिया को उन्होंने जारी रखा तब विधान सभा के अध्यक्ष अपने कमरे से फिर बाहर आये और सदन में आकर प्रो० वासदेव सिंह को कुर्सी से हटाया और उस पर बैठे और बोले कि अब मैं सभा स्थगित करता हूं । इससे बड़ा मजाक संसदीय परम्पराओं के बारे में और संसदीय नियमों के बारे में शायद ही कहीं और हुआ हो । हम जानते हैं कि बंगाल, बिहार या दूसरी जगह जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें रहीं वहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कई ऐसी बातें हुई लेकिन कल उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो घटना हुई वैसी शायद ही कहीं और हुई हो कि जब सरकार गिर रही है और अध्यक्ष देख रहा है तो तमाम नियमों को भंग करके और संविधान की हत्या करके अपना कर्त्तव्य पालन करने की जगह पर सदन को स्थगित कर दिया जाये । हम चाहते हैं कि यह सदन इस चीज पर दखल दे । गृह मंत्री इस सदन में कोई साफ ब्यान इस सदन में दें ताकि ऐसी घटनाएं आगे न चलें और संविधान के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको हम निभा सकें ... (**व्यवधान**)....

SHRI SHEO NARAIN: I rise to a point of order. What is this going on in this House? (*Interruptions*). It is my privilege to raise a point of order. You must allow me.

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि असेम्बली सेशन में है वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल नहीं है । अगर वहां पर प्रेसीडेन्ट रूल होता तो यहां पर इस क्वेश्चन को रेज किया जा सका था। इसलिए इन्होंने जो बात यहां पर कही है वह बिल्कुल निरर्थक है; उसको यहां पर उठाया नहीं जा सकता ।

The Assembly was in session. The Deputy-Speaker came to the Chair. After the Speaker came and took the Chair, the Deputy-Speaker vacated the Chair. After that, the Deputy Chief Minister, the Opposition, the SSP, the PSP were all ready to adjourn the House.

इसलिए यह क्वेश्चन यहां पर रेज नहीं हो सकता ।

MR. CHAIRMAN: We cannot discuss something which is not before us. If they want a statement, they must table a calling-attention-notice and give it in writing to the Speaker . . .

श्री स० मो० बनर्जी : नियम 340 के अन्तर्गत मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है... (**व्यवधान**).....

MR. CHAIRMAN: If the Speaker allows it, it will come up before the House in due time. We cannot discuss it now.

श्री शिव नारायण : आपने प्वाइन्ट आफ आर्डर पर रूलिंग नहीं दी ? .... (**व्यवधान**).....

Is this the way they should behave? What is this nonsense?

SHRI M. L. SONDHI: Should private anger be ventilated in public? Why should private anger be ventilated in public?

SHRI SHEO NARAIN: I can ventilate it in public. I can face him in public.

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शिव नारायण : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । ये इसको यहां पर रेज नहीं कर सकते हैं । ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is no point of order. The House is in session there. My ruling is that it is no point of order.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं शिव नारायण जी नाराज न हों उत्तर प्रदेश से वे भी आये हैं और हम भी आये हैं ।...(**व्यवधान**)... मैं रूल 340 के अन्तर्गत प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश से कल हमको खबर मिली कि विधान सभा में सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स पर वोटिंग होने वाला था । जो स्पीकर होता है उसके लिए कहा जाता है कि वह कस्टोडियन आफ पार्लमेन्ट्री डिमोक्रसी होता है और इम्पार्शलिटी बरतता है । उन के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन चूंकि....

MR. CHAIRMAN: We are discussing something which is not before the House now ...

श्री स० मो० बनर्जी : मैं स्पीकर के बारे में नहीं कह रहा हूं । आप गृह मंत्री को कह दीजिये कि वहां पर जो कुछ हुआ है मैं समझता हूं वह अवैधानिक हुआ है पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के खिलाफ हुआ है । कल जब यहां पर श्री सी० बी० गुप्ता दिल्ली में मौजूद थे और यहां पर साजिश कर रहे थे जन्तर मन्तर रोड में उस समय वहां पर यह घटना हुई । वहां की सरकार गिरने वाली थी लेकिन उस को जबरदस्ती गिरने से रोका गया । गृह मंत्री इस बारे में स्टेटमेंट दें ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मुझे भी दो बातें कहने का मौका दीजिये ।

MR. CHAIRMAN: This cannot be allowed. We cannot discuss something which is not before the House. If he wants to talk about what has happened in U.P., I cannot allow it.

SHRI S. M. BANERJEE: I am not referring to that ...

The Home Minister should make a statement here.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Give them some time. Let us have a discussion.

MR. CHAIRMAN: We cannot discuss it.

SHRI SHEO NARAIN: The House is in session. There is no President's rule there. How can it be raised here?

SHRI M. L. SONDHI: I just want half a minute.

MR. CHAIRMAN: If he is going to talk about what has happened in UP, I am not going to allow it.

SHRI M. L. SONDHI: I shall not mention it.

SHRI BISHWA NATH ROY (Deoria): We should also be given chance.

SHRI M. L. SONDHI: May I make just one submission? You have yourself, lent distinction to this office of the Chair in one of our State Assemblies. Nothing can prevent this House as a general principle from setting what are regarded as the norms of democracy. The norms of democracy, especially parliamentary democracy, do include eternal vigilance by both

sides of the House. If something happens,—I shall not mention it, because I am bowing to your ruling—will—somewhere which reflects on the norms of parliamentary practice, which other forum is there? I request Shri Sheo Narain in his magnanimity to agree with me.

SHRI SHEO NARAIN: I know the forum better than the professor.

SHRI M. L. SONDHI: I accept it. The point that I am making is this House should not interfere and it should not transcend its jurisdiction or try to be vindictive or anything like that, but this House must always safeguard parliamentary procedure, and, therefore, it is for this House to set a precedent in its own activity. Therefore, we on this side of the House are always vigilant, and we would like them also to be vigilant. Therefore, we on this side of the House are always vigilant and we would like them also to be vigilant on the other side. Therefore, if something happens in another House, not with a view to interfere in its proceedings, but as a general . . .

MR. CHAIRMAN: We are discussing something is not before us. I do not know how it can go into the record. If the calling-attention-notice is admitted then we shall have enough time to discuss this. I do not know why we should go into the merits and demerits of it . . .

SHRI S. M. BANERJEE: Kindly direct the Home Minister to make a statement.

MR. CHAIRMAN: I cannot direct him. He will make it on his own if the notice is admitted by the Speaker.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं सभापति जी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस बात को माननीय मित्रों ने उठाया उससे सम्बन्धित बात नहीं कहना चाहता हूं इन्होंने बताया कि कल वहां सदन में अध्यक्ष ने जो कार्यवाही की है वह जनतंत्रीय परम्पराओं की किस प्रकार से हत्या की और उसी आधार पर विधान सभा भी स्थगित हो गयी।

लेकिन मेरे इन मित्रों को और भी शायद जानकारी नहीं है कि आज क्या वहां पर घटना घटी है। जब कल की विरोधी दलों की घटना होने के बाद आज विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि कल कि आप की कार्यवाही संसदीय परम्पराओं के सर्वथा विपरीत थी तो उसके बाद पुलिस हाउस के अन्दर आर्या और 200 असेम्बली के सदस्यों को घसीट कर निकाला गया (शेम शेम) ।

एक प्रान्त में अगर इस प्रकार की स्थिति हो जाय तो मैं समझता हूं कि यहां सरकार को विचार करना चाहिए. . . .

श्री जार्ज फरनेन्डीज : यह बहुत ही गम्भीर मामला है इस पर तुरन्त सरकार को ध्यान देना चाहिए।

SHRI S. M. BANERJEE: We should have a discussion.

SHRI M. L. SONDHI: Now, it is a very serious matter.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): I move that the House do now adjourn to discuss this very important matter.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी पश्चिमी बंगाल विधान सभा के सम्बन्ध में अभी यहां चर्चा हुई. . . .

सभापति महोदय : इस मामले पर बिना किसी लिखित नोटिस के कैसे बहस हो सकती है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जिस निष्कर्ष पर सभापति जी. आपके माध्यम से पहुंचना चाहता हूं. . . .

MR. CHAIRMAN: The hon. Member said that he was not going to refer to it. But he is referring to something which happened today while the other Members referred to something which happened yesterday. It is not fair before the calling-attention-notice is admitted and it comes up here, to discuss it.

SHRI S. M. BANERJEE: We are moving for the adjournment of the House under rule 340. We move for adjournment of this House to discuss this very important question. Under rule 340 we can adjourn the House to discuss this.

SHRI M. L. SONDHI: It is now in your hands.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता हूं आप के माध्यम से वह यह कि आप इस सरकार को यह कहें कि जब पश्चिमी बंगाल विधान सभा में इस प्रकार की घटना हुई भी और हम यहां उस बारे में चर्चा कर सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधान सभा में विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ अगर इस प्रकार की घटना हो कि पुलिस हाउस के अन्दर प्रवेश करे और सदस्यों को घसीट कर बाहर करे और केन्द्रीय सरकार चुप चाप बैठी रहे, यह तो एक तरह से संविधान की हत्या है।

MR. CHAIRMAN: It is not a question of sitting idle; you must bring the matter properly, through call attention notice . . . (*Interruption*).

श्री जार्ज फरनेन्डीज : सभापति जी, यह बहुत गम्भीर मामला है।

MR. CHAIRMAN: The matter is not before the House and we cannot discuss it.

—

14.30 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE* DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE AND PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं यह सभा प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 5) का जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।

इस डेमोक्रेसी में यह शोभा नहीं देता कि जो काम हम अपनी पार्लियामेंट से कर सकते हैं उसके लिए हम अध्यादेश लाएं या आर्डिनेंस जारी करें। एक हकुमत जो सात समुद्र पार की आकर यहां राज्य करती थी उसके लिए यह शोभा की बात थी लेकिन हमारी अपनी डेमोक्रेसी में, जहां कि हमें अपने कानून बनाने की आजादी है, यह बात शोभा नहीं देती। साढ़े सात महीने पहले रिपोर्ट आ चुकी थी और यह सरकार सोती रही, साढ़े सात महीने के पहले कुम्भकरण की निद्रा खत्म की जाती है। दुनियां के लोटस ईटर्स इतने लम्बे समय में जाग जाते हैं अहदी और आलसी भी जाग जाते हैं, लेकिन सरकार साढ़े सात महीने तक सोती रही। और इतना समय गुजरने के बाद हमारे राष्ट्रपति जी से अध्यादेश निकलवाया।

मैं यह भी विश्वास दिला दूं कि राष्ट्रपति इस समय इनकी पार्टी के नहीं हैं, सारे देश के राष्ट्रपति हैं, आइन्दा वह किसी उतावले कदम के ऊपर हरगिज दस्तखत नहीं देंगे। वह भारत की जनता के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। वह किसी पार्टी के बनाए हुए नहीं हैं और कांग्रसियों को मोरल राइट नहीं है कि इन कुर्सियों पर बैठें। जो लीडर्ज हैं, जो लीडर आफ हाउस हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी, उन्होंने जिस कैंडीडेट का नाम पेश किया वह कैंडीडेट गिर गया और जिस कैंडीडेट